अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। श्री सुरेश राम पिता मदन राम, निवास स्थान बरही टोला लस्करी, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बरही, मौजा-बरही, थाना नं0-71, खाता संख्या-473, प्लॉट संख्या-2935, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि संतोष राम पिता रामेश्वर राम, निवास स्थान बरही टोला लस्करी, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22024941 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-12(A)/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2580/रा0 दिनांक 12.07.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, बरही को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, बरही के पत्रांक 761 दिनांक 23.07.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, बरही के जाँच प्रतिवेदनानुसार - क्रेता एवं विक्रेता अ0पि0व0 के अन्तर्गत है एवं एक ही थाना के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियानी रैयत मदन राम पिता सुखारी राम हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 7.71 एकड़ है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 7.71 एकड़ भूमि है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत् है। आवेदक खतियानी/जमाबंदी रैयत के पुत्र हैं। आवेदक द्वारा धारित कुल रकवा 1.92 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.88 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदक को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है। प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अंचल अधिकारी, बरही द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, बरही के अनुशंसा के आलोक में श्री सुरेश राम पिता मदन राम, निवास स्थान बरही टोला लस्करी, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-बरही, मौजा-बरही, थाना नं0-71, खाता संख्या-473, प्लॉट संख्या-2935, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि संतोष राम पिता रामेश्वर राम, निवास स्थान बरही टोला लस्करी, पोस्ट-रसोईयाधमना, थाना-बरही, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.11.17 16:23:45 +05:30
Location: 192.168.100.2